NEERAJ®

M.E.S.-15

शिक्षा के कार्यकारी आयाम

(Operational Dimensions of Education)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Sanjay Jain*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

शिक्षा के कार्यकारी आयाम

(Operational Dimensions of Education)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1

Question Paper—June, 2018 (Solved) 1

Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

समष्टि स्तर पर शैक्षिक क्रियाएँ : विभिन्न स्थितियाँ
(Educational Operations at Macro Level: Different Situations)

1. शिक्षा की संगठनात्मक क्रियाएँ–I 1
   (Organised Operations of Education–I)
2. शिक्षा की संगठनात्मक प्रक्रियाएँ–II 21
   (Organised Operations of Education–II)
3. शिक्षा के नवाचारी वैकल्पिक मॉडल 36
   (Innovative Alternative Models of Education)
4. भारत में सबके लिए शिक्षा : राज्य एवं समुदाय का संयुक्त उत्तरदायित्व 47
   (Education for All in India: Joint Responsibility of State and Community)
5. अनौपचारिक शिक्षा 57
   (Informal Education)

नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन (Policy Making and Implementation)

6. नीति नियोजन एवं कार्यान्वयन 67
   (Policy Planning and Implementation)

7. शैक्षिक प्रक्रियाओं के सांस्थानिक प्रबंधन 75
(Institutional Arrangements of Educational Operations)

8. समष्टि-स्तर पर शिक्षा के लिए संसाधन प्रबंधन 88
(Resource Management for Education at Macro-Level)

9. कार्यक्रम एवं संस्थागत मूल्यांकन 96
(Programme and Institutional Evaluation)

व्यष्टि स्तर पर शैक्षिक क्रियाएँ (Educational Operations at Micro-Level)

10. प्रत्यक्ष साधन में अधिगम अनुभवों का संगठन 104
(Organization of Learning Experiences in Face-to-Face Mode)

11. मुक्त एवं दूर अधिगम व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म-स्तर पर अधिगम अनुभवों का संगठन 116
(Organizing Learning Experiences at Micro-Level through ODLS)

12. कक्षा-कक्ष स्थितियों में पाठ्यचर्या संचरण 123
(Curriculum Transaction in Classroom Situations)

13. मुक्त एवं दूर शिक्षा में पाठ्यचर्या संचालन 135
(Curriculum Transaction in ODLS)

पाठ्यचर्या संचरण में निर्णय-निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन (Decision-making, Implementation and Evaluation of Curriculum Transaction)

14. सूक्ष्म स्तर पर निर्णय-निर्माण 143
(Decision Making at Macro-Level)

15. सूक्ष्म स्तर पर अनुदेशन सहायता कार्य 151
(Instructional Support Practices at Micro-Level)

16. शैक्षिक संगठनों की प्रभाविता 157
(Effectiveness of Educational Organisations)

17. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम 163
(Continuous and Comprehensive Evaluation Programme)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

शिक्षा के कार्यकारी आयाम
(Operational Dimensions of Education)

M.E.S.-15

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम भारिता : 70%*

नोट : *(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (ii) सभी प्रश्नों की भारिता समान है।*

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए–

भारत में ब्रिटिश एवं स्वातन्त्र्योत्तर कालों के दौरान उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–1, पृष्ठ-14, 'भारत में उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकासक्रम', 'ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उच्च शिक्षा' तथा पृष्ठ-14 'स्वातंत्र्योत्तर भारत में उच्च शिक्षा'

अथवा

भारत में अध्यापक-शिक्षा के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–2, पृष्ठ-21, 'अध्यापक शिक्षा'

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए–

शिक्षा गारन्टी योजना (एजूकेशन गारन्टी स्कीम)/ वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा (अल्टरनेटिव इन्नोवेटिव एजूकेशन) (ई.जी.एस./ए.आई.ई.) क्या है? इसकी प्रमुख रणनीतियों एवं मुख्य विशेषताओं की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–3, पृष्ठ-37, 'शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा', 'प्रमुख रणनीतियां', 'ईजी.एस.ए.आई. एल. की मुख्य विशेषताएं'

इसे भी देखें–शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने की सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूट गए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है।

ई.जी.एस. में ऐसे दुर्गम आबादी-क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहां एक किलोमीटर के घेरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं हो और स्कूल नहीं जाने वाले 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 15-25 बच्चे वहां मौजूद हों। पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों जैसे अपवादों में 10 बच्चों पर भी एक ई.जी.एस. स्कूल खोला जा सकता है।

वैकल्पिक शिक्षा की शुरुआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों–बाल श्रमिक, सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चे, कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे और 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है। ई.जी.एस. और ए.आई.ई. में देश भर में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उन आबादी क्षेत्रों (रिहायशी क्षेत्रों) में जहां स्कूल तो हैं, किंतु या तो उनमें बच्चों ने प्रवेश ही नहीं लिया या भर्ती होने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे बच्चे संभवतया पारंपरिक स्कूली प्रणाली से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ऐसे बच्चों को स्कूल में वापस लाने हेतु स्कूल वापसी शिविरों का आयोजन और सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रम की नीतियां लागू की गई हैं। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूलवासी शिविर बच्चों की जरूरतों के अनुसार आवासीय और गैर आवासीय हो सकते हैं।

अथवा

अनौपचारिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा में किन्हीं दो अभिकरणों की भूमिका की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–5, पृष्ठ-63, प्रश्न 1 तथा पृष्ठ-58 'अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण'

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.)

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–7, पृष्ठ-80, 'केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड'

(ख) ग्राम शिक्षा समिति (वी.ई.सी.)

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–7, पृष्ठ-76, 'ग्राम शिक्षा समिति' पृष्ठ-85 प्रश्न 2(क)'

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई. जी.एन.ओ.यू.)

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–7, पृष्ठ-81, 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय'

(घ) राष्ट्रमण्डल अधिगम (कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग) (सी.ओ.एल.)

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–7, पृष्ठ 85, 'कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (COL)'

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(ङ) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं परिषद् प्रत्यायन (एन.ए.ए.सी.) – इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–9, पृष्ठ–99, 'नेशनल एसेसमेंट एवं , ØhfMVsku dkmfla y (NAAC) द्वारा निर्धारित संस्थागत आकलन के आयाम'

(च) संगणक (कम्प्यूटर) साहाय्यित निर्देशन (सी.ए.आई.)

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–10, पृष्ठ–111, 'कंप्यूटर सह अनुदेशन'

इसे भी देखें–CAI एक प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक के सिद्धान्तों के प्रयोग की स्वाभाविक वृद्धि है। अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यक्तिगत अनुदेशन देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक प्रभावी तकनीक की आवश्यकता है। इस तकनीक में लचीलापन होना चाहिये, तथा इसमें संगठित सूचनाओं के संग्रहण की शक्ति होनी चाहिये ताकि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर इस संगृहीत सूचना सामग्री में से अपने उपयोग की सामग्री ले सके। एक कम्प्यूटर इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह संगठित सूचना का संग्रह कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रयोग में ला सकता है।

पहला व्यावसायिक कम्प्यूटर 1951 में गणना ब्यूरो (Census Bureau) द्वारा प्रयोग में लाया गया तथा पहला CAI प्रयास 1961 में हुआ जब इलोनिसिस विश्वविद्यालय ने (University of Illinosis) स्वचालित शिक्षण प्रक्रिया के लिये अभिक्रमित तर्क को विकसित किया। इस प्रकार, सामान्य शिक्षा में कम्प्यूटर का प्रयोग सन् 1960 के आसपास प्रारम्भ हुआ।

संक्षेप में, कम्प्यूटर सहाय्य अनुदेशन एक ऐसे अनुदेशन की ओर संकेत करता है, जिसे कम्प्यूटर तकनीकी की सहायता से संचालित किया जाता है। इसे शिक्षण मशीन तथा अभिक्रमित अनुदेशन से एक कदम आगे के नवाचार के रूप में माना जा सकता है। यह एक ऐसे आधुनिकतम नवाचार को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसे शिक्षण मशीन या अभिक्रमित अनुदेशन के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता। इसका क्षेत्र, तकनीक या आयाम इन दोनों की तुलना में अधिक व्यापक है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए–

एच.आर.डी. से क्या आशय है? शिक्षक सशक्तीकरण की आवश्यकता की परिचर्चा कीजिए और आपके राज्य में शिक्षक-विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–अध्याय–8, पृष्ठ–90, 'शिक्षक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां', 'शिक्षक विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

शिक्षा के प्रक्रियात्मक आयाम
(Operational Dimensions of Education)

समष्टि स्तर पर शैक्षिक क्रियाएँ : विभिन्न स्थितियाँ
(Educational Operations at Macro-Level : Different Situations)

शिक्षा की संगठनात्मक क्रियाएँ–I
(Organised Operations of Education–I)

1

परिचय

शिक्षा मूलत: अभ्यास का क्षेत्र है। शिक्षण अभ्यास औपचारिक, गैर-औपचारिक तथा निरौपचारिक वातावरण आदि भिन्न पर्यावरणों में घटित होता है। शिक्षा की क्रियाएँ संगठित एवं संरचनात्मक होती है। परंतु निरौपचारिक वातावरण में क्रियाएं असंगठित और असंरचित हो सकती हैं।

शिक्षा (Education) शब्द 'Educare' से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है, बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना, ताकि उनमें समाजिकता की भावना का विकास किया जा सके। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा वह माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है तथा वे भविष्य में एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत कर पाने में सक्षम होते हैं। शिक्षा की यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक चरण में अपने अनुभवों द्वारा लगातार शिक्षा प्राप्त करता रहता है।

अत: शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है जिसे कि औपचारिक तौर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र जो भी सीखते हैं, वह पूर्व-निर्धारित तथा नियोजित होता है तथा इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् छात्र अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होंगे।

प्रस्तुत अध्याय में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षण क्रियाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रस्थिति की चर्चा करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

विद्यालय शिक्षा व्यवस्था

भारतीय शैक्षणिक विद्यालयों के स्वरूप से तात्पर्य है–पाठशाला में उपस्थिति विभिन्न स्तर पाठशालाओं के निम्नलिखित दो स्वरूप होते हैं–

(i) शैक्षणिक स्वरूप
(ii) प्रशानिक ढांचा/स्वरूप

***(i)* शैक्षणिक स्वरूप**–देश में 1964-66 के शिक्षा आयोग के सुझावों के आधार पर 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है।

वर्तमान समय में देश के लगभग प्रत्येक भाग में एक समान शिक्षा का स्वरूप विद्यमान है। ये विभिन्न स्तर निम्नवत् हैं–

(i) प्राथमिक से पूर्व स्तर इन्हें Play Centres तथा Monastery भी कहते हैं।
(ii) मौलिक शिक्षा जो कक्षा I से VII या VIII तक जारी रहती है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है–निम्न प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय।
(iii) माध्यमिक शिक्षा जो कि कक्षा VIII से X तक जारी रहती है तथा
(iv) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो कि कक्षा XII तक जारी रहती हैं।

इन के कुछ अनौपचारिक शिक्षण संस्थान भी हैं, जैसे कि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा मुक्त विद्यालय (Open School) इत्यादि

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

शिक्षा का सांस्थानिक ढांचा (Organizational Structure)–शिक्षा केन्द्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का नियोजन किया जा सके।

केन्द्रीय स्तर पर विद्यालयों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय पर है। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग शिक्षा संबंधी सभी मामलों की देखभाल करता है तथा इससे संबंधी निर्णय लेते हैं। इस मंत्रालय का प्रमुख केन्द्रीय मंत्री होता है तथा शिक्षा विभाग राज्य मंत्री के अधीन आता है। इन्हें परामर्श देने के सेक्रेटरी तथा सहायक सेक्रेटरी तथा अन्य सुझाव सलाहकार होते हैं। शिक्षा विकास में कुछ उच्चधिकारी होते हैं, जिन्हें उनके कार्य में सहायता के लिए अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं।

केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने के मदद देने के लिए कुछ संस्थाओं तथा उपविभागों की स्थापना की है। इसके द्वारा कार्य-विभाजन होने के कार्य सुचारु रूप से किया जा सकता है।

इनमें से प्रमुख हैं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, N.C.E.R.T इत्यादि। ये लगभग देश के सभी भागों में समान शिक्षा पद्धति तथा समान पाठ्यक्रम लागू करने का प्रयत्न करती है।

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ अन्य संस्थाओं का भी निर्माण किया है, जो कि शिक्षा संबंधी नीतियों के नियोजन, नियंत्रण तथा इन्हें लागू करने के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य सम्बन्धों को मजबूत करती हैं।

विद्यालय-पूर्व/पूर्व-प्राथमिक/नर्सरी शिक्षा–पूर्व-प्राथमिक बच्चे के जन्म से विद्यालय प्रवेश तक चलती है (लगभग 6 वर्ष आयु तक)। इस शिक्षा में अभिभावक शिक्षा एवं अन्य प्रचलित औपचारिक संस्थानों द्वारा दी जाती है, जैसे-प्ले स्कूल, किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल आदि।

आवश्यकता–प्राचीन काल में परिवार ही बालक की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य तथा इष्ट मित्र, सम्बन्धी व पड़ोसी आदि व्यक्ति ही बालक के अध्यापक माने जाते थे। ये सभी अच्छे कार्यों को प्रेरणा देकर बालक को सदाचार का पाठ पढ़ाते थे, उसके भाषा कौशल तथा गणित ज्ञान को बढ़ाते थे। उस समय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कोई औपचारिक शिक्षा न होकर सामाजिक आदान-प्रदान तथा अभिव्यक्ति को विकसित करने की प्रक्रिया मानी जाती थी। परन्तु बाद में घरेलू व्यावसायिक क्रियाकलापों में व्यस्तता के कारण माता-पिता के लिये यह असम्भव-सा प्रतीत होने लगा कि वे अपने बच्चों को स्वयं ही पूर्व–प्राथमिक शिक्षा दे सकें। इस स्थिति ने शिशुओं की देखभाल तथा उनके व्यवहार शोधन के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इन सभी परिस्थितियों ने यह आवश्यक कर दिया कि अधिक से अधिक पूर्व–प्राथमिक स्कूल खोले जायें तथा इस प्रकार से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिये औपचारिक संस्थाओं का प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामान्यत: 2-3 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष तक के शिशुओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। अत: पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को इस आधार पर भी दो भागों में बाँटा जा सकता है।–प्रथम, घर पर दी जाने वाली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा जो माता द्वारा गर्भधारण से लेकर बालक के 2-3 वर्ष का होने तक चलती है। द्वितीय, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा जो प्राय: बालक के 2-3 वर्ष का होने से 5-6 वर्ष का होने तक चलती है।

भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का विकास–फ्रोबेल (Froebel) को आधुनिक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने सन 1837 में जर्मनी के ब्लेकन्बर्ग नामक शहर में सबसे पूर्व प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी। मारग्रेट मैकमिलन (Margret McMillion) तथा रचेल मैकमिलन (Rechell McMillion) नाम की दो बहनों तथा मारिया मॉन्टेसरी (Maria Monetessory) व आर्नोल्ड गसेल (Arnold Gassel) ने भी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक युग में भारत में औपचारिक रूप से पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने का श्रेय भी ईसाई मिशनरियों को दिया जाता है। सन् 1874 में लखनऊ के लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल में तथा सन 1885 में पूना के सेंट हिल्डा नर्सरी स्कूल में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। इस समय कॉन्वेन्ट स्कूलों के साथ शिशुओं की शिक्षा के लिए पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं को सम्बन्धित करने की प्रथा-सी चल पड़ी थी। सन 1920 में तथा इसके बाद नूतन बाल शिक्षण संघ, भावनगर (गुजरात) ने भी अनेक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले। सन 1939 में मैडम मारिया मॉन्टेसरी भारत में आई। वे लगभग आठ वर्ष तक यहाँ रहीं। उन्होंने अपने प्रयास के समय अनेक अध्यापक-अध्यापिकाओं को अपने द्वारा विकसित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा विधि (मॉन्टेसरी विधि) का प्रशिक्षण दिया तथा अनेक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खुलवाये। भारत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा कोठारी आयोग ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये प्रत्येक राज्य में एक-एक विकास केन्द्र खोलने तथा जिला स्तर पर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने का सुझाव दिया। कोठारी आयोग की इन संस्तुतियों के बावजूद भी सन 1968 में घोषित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं दिया गया, जिसके कारण कोठारी आयोग की संस्तुतियों के बावजूद भी भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति दयनीय बनी रही। 1979 में जनता सरकार द्वारा तैयार किये गए शिक्षा नीति के मसौदे में भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपेक्षणीय ही बनी रहीं। सन 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को कम से कम सिद्धान्त रूप में अपना उचित स्थान मिला। इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खण्ड 5 के अनुच्छेद। 1, 2, 3 व 4 के अनुसार पूर्व–बाल्यकाल परिचर्या

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

तथा शिक्षा (Early Childhood Care and Education) को विशेष महत्त्व देने तथा बालकों के पोषण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास के लिए पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा (ECCE) को यथासम्भव एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा (ECCE) के कार्यक्रम बाल केन्द्रित होंगे तथा इनमें खेलकूद व बालक के व्यक्तिगत स्तर को ध्यान में रखा जायेगा। शिक्षण की औपचारिक विधियों तथा लिखने, पढ़ने व गणित के ज्ञान को औपचारिक ढंग से सिखाने के लिए इस स्तर पर हतोत्साहित करने की बात भी नवीन राष्ट्रीय नीति में कही गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा को अत्यंत महत्त्व दिये जाने के कारण कार्यान्वयन कार्यक्रम में इस प्रकरण पर जोर दिया गया है। इसे मौन संसाधन विकास की व्यूह रचना के प्रमुख अदा, प्राथमिक शिक्षा के पोषक व सहायक कार्यक्रम तथा समाज में सुविधाविहीन वर्गों की कार्यरत महिलाओं के लिए सहायक सेवा के रूप में देखा जा सकता है। इस अवधि की विकास प्रक्रिया में गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि में माता का आहार, सही स्तनपान, टीकाकरण, बाल परिचर्या से सम्बन्धित माता की शिक्षा आदि बातें सम्मिलित रहती हैं, जिसके लिए एकीकृत तथा समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्यान्वयन कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें कहीं गई हैं–

(i) एकीकृत बाल–विकास सेवा के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(ii) पूर्व–बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य व पोषण पक्षों को जोड़ा जायेगा। कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा बच्चों को शैक्षिक सामग्री दी जायेगी।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे बाल-विकास के सभी कार्यक्रमों में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

(iv) राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं के द्वारा संचालित किए जाने वाले पूर्व–प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य व पोषण के पक्षों को जोड़ा जायेगा तथा लिखना-पढ़ना व गणित सिखाने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी शुरू करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जायेगा।

(v) क्रैश तथा दिवस परिचर्या केन्द्र योजना की समीक्षा करने तथा इसके सुदृढ़ीकरण की तत्काल आवश्यकता है।

(vi) सातवीं तथा आठवीं योजना में कम लागत के निदर्श विकसित करने के लिए किए जाने वाले प्रयोगों पर जोर दिया जायेगा।

(vii) पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा कार्यक्रम के सभी प्रारूपों में प्रशिक्षण पक्ष को सुदृढ़ किया जायेगा।

(viii) मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली को प्रबन्ध सूचना प्रणाली एवं वृत्तिक संस्थाओं के सहयोग से सुदृढ़ किया जायेगा।

इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अत्यन्त धीमी व असन्तोषजनक ही रही है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कुछ सीमा एक लोकप्रिय हुई है तथा अभिभावकों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति अपनी मांग सामने रखी है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित है।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में 3-5 वर्ष 50 प्रतिशत बच्चों के नामांकन के उद्देश्य का सुझाव दिया। 1967 में संसद सदस्यों की एक समिति ने 'Statement of National Policy' नामक ड्राफ्ट में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। श्रीमती स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 1972 में अध्ययन दल ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी स्तर पर समन्वित कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस लक्ष्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

भारत में प्रचलित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रकार– पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की विचारधारा के विकास के साथ-साथ अनेक प्रकार के पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई। इन स्कूलों में विभिन्नता मुख्यतः शिक्षण विधि में अन्तर होने के कारण है। वर्तमान में भारत में पाँच प्रकार के पूर्व-प्राथमिक स्कूलों का प्रचलन है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं के यह पाँच प्रकार क्रमशः क्रेश, किन्डरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल तथा पूर्व-बेसिक स्कूल हैं।

1. क्रेश (Creche)– क्रेश शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है–दिन में बच्चों की देखभाल करने के स्थान, जब इनके माता-पिता काम में लगे हों। अतः क्रेश से अभिप्राय उस जगह से है जहाँ छोटे बालक घर से दूर कुछ समय के लिए रहते हैं तथा जहाँ उनके भोजन आदि की व्यवस्था रहती है। ये कामकाजी माताओं (Working Mothers) के बच्चों की देखभाल के लिये खोले जाते हैं। ऐसी माताएँ काम पर जाते समय अपने शिशुओं को छोड़ जाती हैं तथा लौटते समय उन्हें वापस ले जाती हैं। क्रेश में साधारणतः 6 मास से 3 वर्ष तक की आयु के बालकों को रखा जाता है। क्रेशों को दिवस परिचर्या केन्द्र (Day Care Centres) भी कहा जा सकता है।

2. किन्डरगार्टन (Kindergarton)– किन्डरगार्टन स्कूल फ्रोबेल के शिक्षा सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं। फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षाशास्त्री थे। इन्होंने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में काफी कार्य किया तथा जर्मनी के ब्लेकन्बर्ग नामक शहर में सन 1837

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

में पहला किन्डरगार्टन खोला। किन्डरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बच्चों का पार्क। अत: किन्डरगार्टन से अभिप्राय बाल-विहार से है, जहाँ बालक मुक्त होकर खेलकूद का आनन्द ले सकें। फ्रोइबेल का विचार था कि शिशु खेल के माध्यम से स्वत: ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने खेलों की सहायता से शिशुओं के व्यवहार शोधन (Modification) करने का एक विधि प्रस्तुत की। इनमें प्राय: 3 से 5 वर्ष तक की आयु के शिशुओं को भेजा जाता है।

3. मॉन्टेसरी स्कूल (Montessory Schools)–मॉन्टेसरी स्कूल का विचार डॉ. मारिया मॉन्टेसरी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने देखा कि परम्परागत शिक्षण विधि से बालक उतना नहीं सीख पाते हैं जितना कि खेलकूद व अन्य क्रियाओं के द्वारा सीख लेते हैं। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने स्वशिक्षा या स्वत: शिक्षा विधि (Self-education Method) का आविष्कार किया। उनकी विधि को व्यापक सफलता मिली तथा समस्त संसार के शिक्षाविदों ने इसे स्वीकार किया। डॉ. मॉन्टेसरी ने सामूहिक शिक्षण के परम्परागत विचार का विरोध किया तथा कहा कि प्रत्येक बालक अपने विशिष्ट गुणों की वजह से भिन्न होता है। इसलिये सभी छात्रों का एक ढंग से पढ़ाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। उन्होंने अपने मॉन्टेसरी स्कूलों में व्यक्तिगतता (Individuality), स्वतन्त्रता (Freedom), तथा स्व-शिक्षा (Self Education) के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया। इसके साथ-साथ बालक की अन्तर्दृष्टि, इन्द्रियों तथा शारीरिक अंगों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया। इन स्कूलों में सामान्यत: 3 से 5 वर्ष की आयु तक के बालकों को प्रवेश दिया जाता है।

4. नर्सरी स्कूल (Nursery School)–नर्सरी स्कूलों का प्रारम्भ मलिन बस्तियों (Slums) में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिये किया गया था जिनकी मातायें जीविकोपार्जन के लिये घर से बाहर कार्य पर जाती थीं। मारग्रेट मैकमिलन तथा रचेल मैकमिलन नाम की दो बहनों ने इस सम्बन्ध में विशेष कार्य किया। मारग्रेट मैकमिलन का मानना था कि छोटे बच्चों की ध्यानपूर्वक उचित देखभाल करने की विशेष आवश्यकता होती है। नर्सरी स्कूल प्राय: 5 से 7 वर्ष तक आयु के बालकों की भाषायी व गणितीय योग्यताओं का विकास करके उन्हें प्राथमिक स्कूलों के लिए तैयार करते हैं।

5. पूर्व-बेसिक स्कूल (Pre-Basic Schools)–पूर्व-बेसिक स्कूलों को बेसिक शिक्षा की अवधारणा का विस्तार कहा जा सकता है। ये स्कूल महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। नई तालीम संघ, वर्धा का इन स्कूलों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्व-बेसिक स्कूल महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा योजना की तर्ज पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप छोटे बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें बालकों को उनके भौतिक व सामाजिक वातारण का ज्ञान कराया जाता है तथा हस्तकार्य के द्वारा उनमें सहकारिता, सामुदायिकता व स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाती है। पूर्व-बेसिक स्कूलों में प्राय: स्थानीय संसाधनों की सहायता से शिशुओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा बालकों के जीवन में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है।

शिक्षक की तैयारी–पूर्व-माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के गृह विज्ञान विभाग, भारतीय विद्या भवन तथा अन्य संस्थान मॉण्टेसरी प्रशिक्षण तथा डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स कराते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अधिगम अनुभवों को बच्चों की रुचि (संगीत, खेल, साहित्य, कहानी, क्षेत्र भ्रमण) को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इस अवस्था में शिक्षा भावी जीवन की आधारशिला को सुदृढ़ बनाती है।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को रेड्डी समिति ने 1992 में सुझाव दिया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) से संबद्ध 'समन्वित बाल विकास योजना' (ICDS) को शुरू किया जाए। समिति ने इसमें कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की भूमिका के विस्तार पर जोर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की भूमिका विस्तार हेतु उन्हें अनिवार्य कौशलों का संगठित प्रशिक्षण दिया जाए।

प्रारंभिक शिक्षा–प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है– 6-14 वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसे तीन विस्तृत सार्वभौमिक लक्ष्यों में बाँटा गया है। परिणामस्वरूप आज 94% ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय तथा 84% को 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए गरीब बच्चों को पुस्तकें, वर्दी, शिक्षण सामग्री, दोपहर का भोजन आदि सुविधाएँ नि: शुल्क दी जा रही हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–प्राचीन काल में न्यूनतम स्तर से आगे की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था इस कारण शिक्षक वर्ग में अधिकांशत: ब्राह्मण ही होते थे। किंतु जैन व बौद्ध धर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी तथा शिक्षा को व्यवसाय के रूप में माना जाता था। शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था।

अब तक यही मान्यता थी कि शिक्षा उच्च वर्गों तक ही सीमित थी परंतु अनेक अध्ययनों, सर्वेक्षणों व खोजों से यह बात सामने आई है कि शिक्षा की स्थिति पहले से स्थापित मतों से भिन्न थी। मद्रास प्रेसीडेंसी तथा बिहार के शूद्र जाति बहुल जाति दो जिलों में मिले साक्ष्य बताते हैं कि इन क्षेत्रों के विद्यालयों में शूद्र जाति के छात्रों की बहुलता थी।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com